अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2002

का.आ. 1281(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 832(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार श्री सिद्धक्षेत्र श्राविकाश्रम, द्वारा गौतम सी0 दलाई, सेकर्सिया चैम्बर्स, प्रथम तल, 139, नगीनदास मास्टर रोड, मुम्बई-1 द्वारा जिला भावनगर, गुजरात में भवन निर्माण, उपस्करो की खरीद, साजसज्जा तथा बहुउददेशीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को चलाने, आवासीय क्वाटर्स, व्यापार प्रबन्धन पाठयक्रम को चलाने, पुस्तकालय की स्थापना तथा पलिताना

औषधालय की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 14 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सिद्धक्षेत्र श्राविकाश्रम, द्वारा गौतम सी0 दलाई, सेकर्सिया चेम्बर्स, प्रथम तल, 139, नगीनदास मास्टर रोड, मुम्बई-1 द्वारा जिला भावनगर, गुजरात में चलाई जा रही भवन निर्माण, उपस्करों की खरीद, साजसज्जा तथा बहुउददेशीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को चलाने, आवासीय क्वार्टर्स, व्यापार प्रबन्धन पाठ्यक्रम को चलाने, पुस्तकालय की स्थापना तथा पालिताना औषधालय की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तीन करोड़ छियत्तर लाख रूपए की कार्पस निधि सहित एक करोड़ दो लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 373/2002/फा. सं. एन सी–113/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)